न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 150/2025 (GCMS : 2025/225)

1. **जसराम** पुत्र श्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी चक धर्मसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **मनीराम** पुत्र पिसर मुतबना श्री चुन्नीराम जाति मेघवाल निवासी ...सर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज.
2. श्रीमान **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री भगत सिंह जाखड़ को रूक रूक कर बार–बार आवाज् लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर से टिप्पणी प्राप्त होकर शामिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन अपील अनवानी मनीराम बनाम जसराम सुनवाई हेतु विचाराधीन बताया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी मनीराम और उसका भाई रामप्रताप चालाक, चुस्त एवं होशियार आदमी है और मुझ जसराम को जोर जोर से सुनाकर बोलते है कि जसराम के हक का इंतकाल खारिज करवा देगे और कहते है कि एडीएम साहब को हमने स्थानीय विधायक से फोन करवा दिया है और इस अपील का फैसला हमारे हक में होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी मनीराम के वकील साहब भी कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की जिद कर रहे है। अप्रार्थी मनीराम और उसका भाई राम प्रताप न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे है। प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के लिए अप्रार्थी और उसका भाई किसी भी सीमा तक जा सकते है। इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय में विचाराधीन अपील इंतकाल तुरन्त प्रभाव से ट्रांसफर करने की प्रार्थना की है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 22.07.2025 का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित अपील इंतकाल संख्या 29/2022 अनवान् मनीराम बनाम जसराम व अन्य को अन्यत्र मुंतकिल के लिए ... अतिरिक्त जिला कल्कटर प्रशासन, श्रीगंगानगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को इंतकाल अपील धारा 75 के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अति. जिला कलक्टर पर राजनैतिक प्रभाव के कारण प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। किसी व्यक्ति का राजनैतिक प्रभाव सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।** प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता** हुआ दिखना भी चाहिए" को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर